

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फिरोजाबाद।

संख्यांक/ 18361-67

/ 2019-20

दिनांक - 20 मार्च 2020

प्रबन्धक,

मधुवन ग्लोबल एकेडमी,

एटा रोड़ सिकरारी

विकास खण्ड टूण्डला, जनपद फिरोजाबाद।

विषय-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता का प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 31-12-2019 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं मधुवन ग्लोबल एकेडमी, एटा रोड़, सिकरारी विकास खण्ड टूण्डला जनपद फिरोजाबाद को तारीख 01-04-2020 से तारीख 31-03-2021 तक एक वर्ष की अवधि के लिये प्राईमरी स्तर कक्षा एक से कक्षा पाँच (अंग्रेजी माध्यम) तक के लिये अनंतिम (औपबन्धिक) मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्वधीन है :-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 01 में उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधाविहीन समुहों के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा तीन में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितियाँ प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. मान्यता प्राप्त विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न ही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

(1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा :

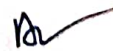
(2) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जायेगा।

(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(5) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।





(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकतम न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे :

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और

(8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय भवन के अग्रभाग पर विद्यालय का नाम, मान्यता का वर्ष, विद्यालय का कोड एवं मान्यता प्रदान करने वाली संस्था/निकाय का प्रतीक चिन्ह (लोगो) एवं नाम सुरपष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। अधिकतम 02 वर्ष में रंग-शेड की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं :-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	—	400.36 SQMT
कुल निर्मित क्षेत्र	—	226.07 SQMT
क्रीड़ा स्थल की क्षेत्रफल	—	174.29 SQMT
कक्षाओं की संख्या	—	05 शिक्षण कक्षा कक्षा

प्राध्यापक-सह-कार्यालय सह भांडागार के लिये कक्षा — 03

बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय — है

पेयजल सुविधा — है

मिड डे मील पकाने के लिये रसोई — नहीं

बाधारहित पहुँच — है

अध्यापन पठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों / पुस्तकालय की उपलब्धता — है

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जायेगा।
11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा ही चलाया जायेगा।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जायेगा।
13. शुल्क/फीस मान्यता प्राप्त विद्यालयों के द्वारा शिक्षण शुल्क एवं गहेंगाई शुल्क गिलाकर स्वीकार किया जायेगा जो विद्यालय स्टाफ के वेतन, अनुरक्षण एवं इससे सम्बन्धित अन्य व्यय के लिए पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा गहेंगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात् कुल आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई भी वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी, वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विद्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों में शुल्क लिया जा सकता है। (1) शिक्षण शुल्क (2) गहेंगाई शुल्क (3) विकास शुल्क (4) बिजली-पानी (5) क्रीड़ा शुल्क (6) परीक्षा/मूल्यांकन (7) विद्यालय समारोह/उत्सव (8) विशेष विषयों की शिक्षा कम्प्यूटर, संगीत आदि। पंजीकरण शुल्क, भवन शुल्क, तथा कैपीटेशन के रूप में कोई फीस विद्यार्थियों से लेना वर्जित होगा। विद्यालय प्रबन्धन के द्वारा वार्षिक आय में बचत का उपयोग का प्रयोग विकास के लिए किया जायेगा।

✓

✓

14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक **1603726** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाए।
17. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
18. विद्यालय के कक्षा अनुभागों में उतने ही छात्रों का प्रवेश लिया जायेगा, जिससे प्रत्येक छात्र हेतु कम से कम 09 वर्ग फीट की जगह उपलब्ध हो सके। प्रत्येक कक्षा कक्ष में कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होगी।
19. किसी भी अतिरिक्त कक्षा/अनुभाग का संचालन/बन्द करना बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं किया जायेगा। किसी भी विद्यालय को शाखा चलाने की अनुमति नहीं होगी।
20. अग्निशमन यंत्र की रिफिलिंग समय-समय पर कराने का उत्तरदायित्व प्रबन्धतंत्र का होगा।
21. विद्यालय के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा के उपायों के लिये जिला स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति/अग्निशमन अधिकारी के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षित कराया जायेगा ताकि आग लगने की स्थिति अथवा अन्य आकस्मिक आपदा की स्थिति में बच्चों को सुरक्षित तरीके से बचाया जा सके।
22. आपका विद्यालय स्ववित्त पोषित होगा, जिसे राज्य सरकार की ओर से किसी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
23. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 एवं शासनादेश संख्या 89/अरसठ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 की अन्य सभी शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन करने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धतंत्र का होगा।

उपरोक्तानुसार आपके विद्यालय को 01 वर्ष के लिये औपबन्धिक मान्यता प्रदान की जा रही है। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आयेगा तो विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

भवदीय

MPC 20/3/2020

डा०(अरविन्द कुमार पाठक)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

फिरोजाबाद। *13*

पृ०सं०/मान्यता/

/2019-20

दिनांक - उक्तवत्।

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. शिक्षा निदेशक(वे०) उ०प्र० लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
02. अपर शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय उ०प्र० इलाहाबाद।
03. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(वे०) आगरा।
04. जिला समाज क०अधि०/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधि०/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी फिरोजाबाद।
05. खण्ड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, फिरोजाबाद।
06. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फिरोजाबाद।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फिरोजाबाद।

संख्यांक/ 11 69-75

/ 2020-21

दिनांक - 12 जून 2020

प्रबन्धक,

मधुवन ग्लोबल एकेडमी,

एटा रोड़ सिकरारी

विकास खण्ड टूण्डला, जनपद फिरोजाबाद।

विषय-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता का प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 31-12-2019 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं मधुवन ग्लोबल एकेडमी, एटा रोड़, सिकरारी विकास खण्ड टूण्डला जनपद फिरोजाबाद को तारीख 01-04-2020 से तारीख 31-03-2021 तक एक वर्ष की अवधि के लिये उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा छः से कक्षा आठ (अंग्रेजी माध्यम) तक के लिये अनंतिम (औपबन्धिक) मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्वधीन है :-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 01 में उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधाविहीन समुहों के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा तीन में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितियाँ प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. मान्यता प्राप्त विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न ही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

(1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा :

(2) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जायेगा।

(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अध्वधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(5) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

18

18

(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे :

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और

(8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय भवन के अग्रभाग पर विद्यालय का नाम, मान्यता का वर्ष, विद्यालय का कोड एवं मान्यता प्रदान करने वाली संस्था/निकाय का प्रतीक चिन्ह (लोगो) एवं नाम सुस्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। अधिकतम 02 वर्ष में रंग-रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं :-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	—	400.36 SQMT
कुल निर्मित क्षेत्र	—	226.07 SQMT
क्रीड़ा स्थल की क्षेत्रफल	—	174.29 SQMT
कक्षाओं की संख्या	—	03 शिक्षण कक्षा कक्ष

प्राध्यापक-सह-कार्यालय सह भांडागार के लिये कक्ष — 03

बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय — है

पेयजल सुविधा — है

मिड डे मील पकाने के लिये रसोई — नहीं

बाधारहित पहुँच — है

अध्यापन पठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता — है

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जायेगा।
11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा ही चलाया जायेगा।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जायेगा।
13. शुल्क/फीस मान्यता प्राप्त विद्यालयों के द्वारा शिक्षण शुल्क एवं महँगाई शुल्क मिलाकर स्वीकार किया जायेगा जो विद्यालय स्टाफ के वेतन, अनुरक्षण एवं इससे सम्बन्धित अन्य व्यय के लिए पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा महँगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात् कुल आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई भी वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी, वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विद्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों में शुल्क लिया जा सकता है। (1) शिक्षण शुल्क (2) महँगाई शुल्क (3) विकास शुल्क (4) बिजली-पानी (5) क्रीड़ा शुल्क (6) परीक्षा/मूल्यांकन (7) विद्यालय समारोह/उत्सव (8) विशेष विषयों की शिक्षा कम्प्यूटर, संगीत आदि। पंजीकरण शुल्क, भवन शुल्क, तथा कैपिटेशन के रूप में कोई फीस विद्यार्थियों से लेना वर्जित होगा। विद्यालय प्रबन्धन के द्वारा वार्षिक आय में बचत का उपयोग का प्रयोग विकास के लिए किया जायेगा।





14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक **1603731** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाए।
17. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
18. विद्यालय के कक्षा अनुभागों में उतने ही छात्रों का प्रवेश लिया जायेगा, जिससे प्रत्येक छात्र हेतु कम से कम 09 वर्ग फीट की जगह उपलब्ध हो सके। प्रत्येक कक्षा कक्ष में कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होगी।
19. किसी भी अतिरिक्त कक्षा/अनुभाग का संचालन/बन्द करना बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं किया जायेगा। किसी भी विद्यालय को शाखा चलाने की अनुमति नहीं होगी।
20. अग्निशमन यंत्र की रिफिलिंग समय-समय पर कराने का उत्तरदायित्व प्रबन्धतंत्र का होगा।
21. विद्यालय के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा के उपायों के लिये जिला स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति/अग्निशमन अधिकारी के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षित कराया जायेगा ताकि आग लगने की स्थिति अथवा अन्य आकस्मिक आपदा की स्थिति में बच्चों को सुरक्षित तरीके से बचाया जा सके।
22. आपका विद्यालय स्ववित्त पोषित होगा, जिसे राज्य सरकार की ओर से किसी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
23. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 एवं शासनादेश संख्या 89/अरसठ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 की अन्य सभी शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन करने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धतंत्र का होगा।

उपरोक्तानुसार आपके विद्यालय को 01 वर्ष के लिये औपबन्धिक मान्यता प्रदान की जा रही है। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आयेगा तो विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

भवदीय

डा०(अरविन्द कुमार पाठक)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फिरोजाबाद

पृ०सं०/मान्यता/

/2020-21

दिनांक - उक्तवत्।

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. शिक्षा निदेशक(बे०) उ०प्र० लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
02. अपर शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय उ०प्र० इलाहाबाद।
03. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बे०) आगरा।
04. जिला समाज क०अधि०/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधि०/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी फिरोजाबाद।
05. खण्ड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, फिरोजाबाद।
06. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फिरोजाबाद।